5/3/18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर।
(S.D.O.) बालोतरा

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण को गत पेशी दिनांक समन तामील के बावजूद अनुपस्थित। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र बहस हेतु दिनांक 25/3/18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर।
(S.D.O.) बालोतरा

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थिया के वकील उपस्थित।
बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई. पत्रावली वास्ते आदेश दि 27/03/18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पत्रावली पेश हुई।
आदेश जुदागाना लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– अनिल महला आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण सं. 788/2018

प्रार्थीगण
1. भैरूसिंह पुत्र गिरधारीसिंह राजपुरोहित निवासी बालोतरा
2. वालसिंह पुत्र मोडसिंह राजपुरोहित निवासी कालुड़ी हांल – बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण
1. गोविन्दसिंह पुत्र हरदान जाति राजपुरोहित
2. श्रीमती चुकीदेवी पत्नी हरदान जाति राजपुरोहित निवासीयान बालोतरा
3. गुमानसिंह पुत्र भीमसिंह राजपुत निवासी माजीवाला
4. लखसिंह पुत्र हरीसिंह राजपुत निवासी नौसर
5. राजुसिंह पुत्र धोकलसिंह राजपुत निवासी नौसर
6. अधिशाषी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वतृ जोधपुर
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. हेतु प्रकरण वादीगण गोविन्द वगैरा बनाम प्रतिवादीगण भंवरा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2010 का पुनर्विलोकन करने

आदेश दिनांकः 27/9/18

उपस्थित :–

श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं, वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण विप्रार्थी सं. 03 ता 05 के हकपुर्वाधिकारीयो के विरूद्ध वाद बाबत बंटवाड़े का खसरा सं. 718, 719, 720, 721, 723, 708, 709, 717, 724 मौजा जसोल के सम्बंध में वाद सं. 190/2006 प्रस्तुत किया, उक्त वाद में तारीख 25.05.2009 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। न्यायालय द्वारा जो प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2009 को जारी की उसकी पालना में निरीक्षक भू.अ. जसोल, पटवारी जसोल, के द्वारा दिनांक 21.07.2010 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल खसरा सं. 723 के कुल रकबे में से मुल वाद के वादी वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थी सं. 1 व 2 के हकपक्ष में खसरा सं. 723 रकबा 2.07 बीघा खसरा सं. 723 रकबा 12 विस्वा रखा गया, इसी प्रकार वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकारी कोकु हुकमाराम, केवलराम, आम्बाराम, चैनाराम, पुखराज, भवंराराम, हनुमान, जैसा, नरपत, चैनसिंह, जगतसिंह, सरजुदेवी के हक में खसरा सं. 723 रकबा 4.19 बीघा व खसरा सं. 723 रकबा 2.10 बीघा रखे गये, एवं शेष खसरा सं. 723 का रकबा सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत जोधपुर के खाते में दर्ज करने हेतु तत्समय के सभी सह–खातेदारान के नाम रखा गया, माफिक विभाजन अंतिम डिक्री जारी करने से रेकर्ड में निम्न प्रकार से अंकित किये गये, पक्षकार के खाते में दर्ज किये खसरो के नये खसरा संख्या 1838/723 रकबा 4.19 बीघा, खसरा संख्या 1839/723 रकबा 7.14 बीघा, खसरा संख्या 1840/723 रकबा 2.10 बीघा, खसरा संख्या 1841/723 रकबा 2.07 बीघा, खसरा संख्या 1842/723 रकबा 0.12 बीघा राजस्व रेकर्ड़ जमाबन्दी व नक्शे में दर्ज किये गये। उक्त खसरान में से खसरा सं. 1841/723, 1842/723 वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है, खसरा सं. 1839/723 सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के नाम दर्ज है, जो विप्रार्थी सं. 06 है, खसरा सं. 1838/723 रकबा 04.19 बीघा विप्रार्थी सं.

.....2.....

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर बालोतरा

Scanned by CamScanner

3, 4 व 5 के नाम दर्ज है, इसी प्रकार से खसरा सं. 1840/723 रकबा 02.10 बीघा में प्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 का 2/5 हिस्सा, व विप्रार्थी सं. 03 का 1/5 हिस्सा है। वर्तमान प्रार्थना पत्र में पक्षकारान के खातेदारी हको या हिस्सो को लेकर कोई विवाद नही है, किन्तु मूल खसरा सं. 723 रकबा 18.02 बीघा का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, और विभाजन प्रस्ताव के बाद नक्शा लटटा ट्रेस में विप्रार्थी सं. 06 के नाम दर्ज भूमि का रकबा कटाण मेगा हाई वे हेतु तरमीम मौका स्थिति अनुसार करने पर विभाजन प्रस्ताव में दर्ज तरमीम के विपरीत हो गयी, उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 15.05.2018 को प्रार्थीगण ने भूमिधारक के कार्यालय में उक्त भूमि के सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश कर सीमाज्ञान का आदेश प्राप्त किया, जिसकी पालना में दिनांक 28.05.2018 को नाप सीमाज्ञान किया, तो उक्त तथ्य सामने आया कि खसरा सं. 1840/723 का रकबा जमाबन्दी व नक्शानुसार 2.10 बीघा है, जबकि मौके पर सड़क के एकतरफ 1.12 बीघा ही है, शेष रकबा सड़क के दुसरी तरफ है जबकि ऐसी तरमीम रेकर्ड में नहीं है, सड़क की तरमीम मौका अनुसार नहीं होने से गलत होने के कारण रकबा कम पड़ रहा है। निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2010 पारित करते वक्त व विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त ऐसी नयी व महत्वपुर्ण बात को सम्यक् तत्परता के उपयोग के पश्चात उस समय जब डिक्री पारित की गई थी, तब पक्षकारान के ज्ञान में नही था, क्योंकि मौके पर नाप सीमाज्ञान वक्त विभाजन नहीं किया, इस कारण उक्त डिकी निर्णय भूलवशं पारित हुई थी, उक्त भूल व गलती अभिलेख को देखने से प्रकट होती है, ऐसी त्रुटि को जरीये रिव्यु दुरस्त करना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2009 व अंतिम डिक्री दिनांक 25.08.2010 के विरूद्ध किसी भी पक्ष ने कोई अपील प्रस्तुत नही की है, और न ही किसी न्यायालय में कोई अपील ही विचाराधिन है, प्राथमिक डिक्री अंतिम डिक्री को कभी भी किसी के द्वारा उलटा या पुलटा नही है, यानि उक्त दोनो ही डिक्रीया प्रभावी है। मौके पर राजस्व रेकर्ड़ के विपरीत स्थिति है, इस कारण मौके पर हरसमय विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है, ऐसी स्थिति में उक्त त्रुटि की दुरस्ती हेतु मौके पर जो स्थिति है, उसी अनुसार रेकर्ड़ में अमल दरामद करने हेतु डिक्री दिनांक 25.08.2010 को पुनः पुर्नविलोकन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, उक्त त्रुटि से प्रार्थीगण के विधिक हक प्रतिकुल रूप से प्रभावित हो रहे है, यानि प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार है, व्यथित पक्षकार प्रार्थीगण के द्वारा रेकर्ड में हुई त्रुटि को सहमति से दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, किन्तु विप्रार्थीगण ने हर बार टालमटोली का जवाब दिया। और निवेदन किया कि पुर्व में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 25.08.2010 को खसरा सं. 723, खसरा सं. 1838/723, 1839/723, 1840/723, 1841/723, 1842/723 के संबंध में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व खतौनी मौका स्थिति अनुसार पुनर्विलोकन कर रिव्यु करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, विप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया।

तहसीलदार पचपदरा से चाही गयी मौका रेकर्ड़ की तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी जमाबंन्दी नक्शा एवं मौका की स्थिति में भिन्नता होना बताया गया है, उक्त रिपोर्ट को

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

.....3.....

Scanned by CamScanner

नही मानने का कोई कारण विद्यमान नही है, राजस्व रेकर्ड़ में त्रुटि होना स्पष्ट रूप से साबित है, न्यायहित में उक्त त्रुटि को दुरस्त करना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र धारा आदेश 47 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर पुर्व में पारित अंतिम ड्रिकी, निर्णय तारीख 25.08. 2010 को रिव्यु कर निरस्त किया जाता है, साथ ही आदेश दिया जाता है, कि मूल वाद सं. 190/2006 वादीगण गोविन्द बनाम प्रतिवादी भंवरा वगैरा को पुनः अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है, उक्त पत्रावली मूल वाद के सलंग्न रहे।

आदेश आज तारीख 27/9/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल [illegible] R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा